मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन, भोपाल – 462004

क्रमांक एफ 7–28/2009/आ.प्र./एक भोपाल, दिनांक 04/02/2014

प्रति

अपर मुख्य सचिव/
प्रमुख सचिव/सचिव,
शासन के समस्त विभाग,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत, मध्यप्रदेश ।

विषयः– अन्य पिछडा वर्ग के क्रीमीलेयर के मापदण्डों में संशोधन तथा एकजाईकरण ।

संदर्भः– सामान्य प्रशासन विभाग का परिपत्र क्रमांक एफ 7–18/2000/आ.प्र./ एक, दिनांक 25.02.2003, 25.08.2012 एवं 02.07.2013

सामान्य प्रशासन विभाग के संदर्भित परिपत्र दिनांक 25.02.2003 द्वारा अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये (क्रीमीलेयर) के मापदण्ड जारी किये गये है, जिन्हें परिपत्र दिनांक 25 अगस्त 2012 द्वारा पुनः एकजाई एवं संशोधित रूप में जारी किये गये हैं ।

2/ विभिन्न स्तरो से समय–समय पर क्रीमिलेयर के संबंध मे स्पष्टीकरण चाहा जाता है, जिसे दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार, कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) ने ज्ञापन क्रमांक 36033/5/2004-Estt (Res) दिनांक 14–10–2004 द्वारा क्रीमिलेयर के संबंध में अनेक प्रावधानों से संबंधित शंकाओं

निरंतर....2

का समाधान किया गया है, जो अग्रलिखित है :–

क्र0	प्रावधान	स्पष्टीकरण
(i)	क्या उन माता–पिता के पुत्र एवं पुत्रियों को सम्पन्न वर्ग से बाहर समझा जायेगा जिनमें से कोई एक अथवा दोनों सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त **श्रेणी–I / समूह "क"** अधिकारी हो और सेवानिवृत्ति के पश्चात् उनमें से एक की अथवा दोनों की मृत्यु हो जाये अथवा स्थाई तौर पर अक्षमता का शिकार हो जायें ?	(क) माता–पिता में से कोई एक अथवा दोनों सीधी भर्ती से नियुक्त **श्रेणी–1 / समूह 'क'** अधिकारी है और ऐसे नियोजित व्यक्ति (व्यक्तियों) की सेवा में रहते हुये मृत्यु हो जाये अथवा वह (वे) स्थायी रूप से अक्षम हो जाएँ;
(ii)	क्या उन माता–पिता के पुत्र एवं पुत्रियों को सम्पन्न वर्ग से बाहर समझा जायेगा जो दोनों ही सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त **श्रेणी–II समूह "ख"** अधिकारी हो और उनमें से एक की मृत्यु हो जाये अथवा वह स्थाई तौर पर अक्षमता का शिकार हो जाये ?	(ख) माता–पिता दोनों ही सीधी भर्ती से नियुक्त **श्रेणी–II / समूह 'ख'** के अधिकारी हैं और उनमें से एक की सेवा में रहते हुए मृत्यु हो जाए अथवा वह स्थायी रूप से अक्षम हो जाए, और
(iii)	क्या उन माता–पिता के पुत्र एवं पुत्रियों को सम्पन्न वर्ग से बाहर समझा जायेगा जो दोनो ही सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त **श्रेणी II समूह "ख"** अधिकारी हो और सेवानिवृत्ति के पश्चात् दोनों की मृत्यु हो जाये अथवा स्थाई तौर पर अक्षमता का शिकार हो जाय, यद्यपि दोनों की ऐसी मृत्यु अथवा ऐसी स्थाई अक्षमता से पूर्व इनमें से किसी एक ने संयुक्त राष्ट्र, अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक इत्यादि से किसी अन्तरराष्ट्रीय संगठन में कम से कम पॉच वर्ष की अवधि की नियुक्ति की सुविधा प्राप्त की हो ?	(ग) माता–पिता जो दोनों ही सीधी भर्ती से नियुक्त **श्रेणी–II / समूह 'ख'** के अधिकारी है और दोनों की ही सेवा में रहते हुये मृत्यु हो जाये अथवा वे स्थायी रूप से अक्षम हो जाये भले ही उनकी ऐसी मृत्यु अथवा स्थायी अक्षमता से पूर्व उनमें से किसी एक ने संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक आदि जैसे अन्तरराष्ट्रीय संगठनों में कम से कम 05 वर्ष की अवधि की नियुक्ति की प्रसुविधा प्राप्त की हो । संपन्न वर्ग (क्रीमी लेयर) के अंतर्गत नही आते । किन्तु यदि ऐसे मामलों में मृत्यु अथवा स्थायी अक्षमता सेवानिवृत्ति के पश्चात् हो तो ऐसे माता–पिता के पुत्र एवं पुत्रियॉ संपन्न वर्ग (क्रीमी लेयर) के अंतर्गत माने जावेगे और उन्हें आरक्षण का लाभ प्राप्त नही होगा।

क्र0	प्रावधान	स्पष्टीकरण
(vi)	क्या कोई ऐसा उम्मीदवार जो स्वयं सीधी भर्ती से नियुक्त श्रेणी–1/समूह "क" अधिकारी हो अथवा सीधी भर्ती से नियुक्त **श्रेणी II /समूह 'ख'** अधिकारी हो और 40 वर्ष की आयु तक या उससे पहले **श्रेणी I /समूह 'क'** अधिकारी बन गया हो, अपनी सेवा के स्तर के आधार पर संपन्न वर्ग के अंतर्गत माना जावेगा ।	इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है, कि उम्मीदवारों के संपन्न वर्ग के दर्जे का निर्धारण उसके माता–पिता के दर्जे के आधार पर किया जाता है, न कि उसकी अपनी हैसियत अथवा आय अथवा उसके पति/पत्नि की हैसियत अथवा आय के आधार पर । अतः किसी व्यक्ति के संपन्न वर्ग के दर्जे का निर्धारण करते समय उम्मीदवारों की स्वयं की हैसियत अथवा आय अथवा उसके पति/पत्नि की हैसियत अथवा आय को ध्यान में नहीं रखा जावेगा ।
(vii)	क्या कोई ऐसा उम्मीदवार सम्पन्न वर्ग के अंतर्गत माना जावेगा जिसकी सकल वार्षिक आय 6.00 लाख रूपये अथवा उससे अधिक हो अथवा लगातार तीन वर्षों से संपत्तिकर अधिनियम में यथा निर्धारित छूट की सीमा से अधिक संपदा रखता रहा हो ?	
(viii)	अनुदेशों में यह प्रावधान है, कि अन्य पिछड़ा वर्ग की किसी महिला को, जिसका विवाह सीधी भर्ती से नियुक्त **श्रेणी–I / समूह 'क'** अधिकारी के साथ हुआ है, विवाह के आधार पर संपन्न वर्ग के अंतर्गत नही माना जावेगा । अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी का कोई ऐसा पुरूष जिसका विवाह सीधी भर्ती से नियुक्त **श्रेणी–I/समूह 'क'** के अधिकारी महिला के साथ हुआ हो, क्या अपने विवाह के आधार पर संपन्न वर्ग के अंतर्गत माना जावेगा ?	

क्र0	प्रावधान	स्पष्टीकरण
	स्पष्टीकरण "वेतन अथवा कृषि भूमि से होने वाली आय को मिलाया नही जायेगा ।" की व्याप्ति की सीमा तक है ?	श्रेणी–VI में दिये गये अनुसार किसी उम्मीदवार के संपन्न वर्ग के दर्जे का निर्धारण करने के लिये आय/संपत्ति परीक्षण लागू करते समय वेतन से होने वाली आय तथा कृषि भूमि से होने वाली आय नही गिना जावेगा । इसका तात्पर्य यह है, कि यदि किसी उम्मीदवार के माता–पिता के वेतन से होने वाली आय **6.00 लाख** रूपये प्रति वर्ष से अधिक हो और कृषि भूमि से होने वाली आय **6.00 लाख** रूपये से अधिक हो किंतु अन्य स्त्रोतों से होने वाली आय **6.00 लाख** रूपये प्रतिवर्ष से कम हो तो आय/संपत्ति परीक्षण के आधार पर उम्मीदवार को संपन्न वर्ग के अंतर्गत नही माना जावेगा बशर्ते के उसके माता–पिता (दोनों) के पास लगातार तीन वर्षों के अवधि से संपत्ति कर अधिनियम यथा–निर्धारित सीमा से अधिक धन न रहा हो ।

3/ कृपया, अन्य पिछड़े वर्ग के जाति प्रमाण पत्र जारी करते समय उपरोक्त स्पष्टीकरण को दृष्टिगत रखने हेतु सक्षम अधिकारियों को अवगत कराने का कष्ट करें ।

(आर.के.गजभिये)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

पृ0 क्रमांक एफ 7–28/2009/आ.प्र./एक भोपाल, दिनांक 07/02/2014

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव, महामहिम राज्यपाल, राजभवन, मध्यप्रदेश, भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्रीजी, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय, भोपाल।
3. माननीय मंत्री/राज्यमंत्री के निज सचिव/निज सहायक, मध्यप्रदेश, भोपाल ।
4. प्रमुख सचिव (समन्वय) मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल ।
5. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल ।

6. अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मण्डल,/अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश, भोपाल/सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग ।
7. महानिदेशक, प्रशासन अकादमी, मध्यप्रदेश भोपाल ।
8. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय, भोपाल ।
9. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर ।
10. सचिव, लोकायुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल ।
11. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी/सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, म.प्र. भोपाल ।
12. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर/इंदौर/ग्वालियर ।
13. आयुक्त, पिछड़ा वर्ग कल्याण मध्यप्रदेश, भोपाल ।
14. प्रमुख सचिव/सचिव/उप सचिव/ मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
15. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(आर.के.गजभिये)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

बेटी है तो कल है